लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4120

19 दिसम्बर, 2011 को उत्तर के लिए

कोयले एवं चूना पत्थर की खरीद में अनियमितताएं

4120. श्री इन्दर सिंह नामधारी:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में भवंतपुर चूना पत्थर खानों के चूनापत्थर को काटने, उठाने, परिवहन करने तथा डब्बों में लादने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण के कच्चे माल प्रभाग द्वारा मंगायी गयी निविदा में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा कोकिंग कोल की खरीद में अनियमितता के मामलों की खबरें आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ड.) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं पर गौर करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति के लिए निर्धारित विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(छ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अधीन रॉ मैटेरियल डिविजन ने क्रमश: भावनाथपुर लाईमस्टोन खानों और तुलसीदार डोलोमाईट खानों पर मिश्रित खनन कार्य हेतु दिनांक 25.11.2010 एवं 26.11.2010 को दो निविदाएं जारी की। सेल ने सूचित किया है कि निविदाओं में बोलीदाताओं द्वारा कथित रूप से जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इन मामलो की जांच की गई और आरोपों को सही पाए जाने पर निविदा तुलसीदामर डोलोमाईट खानों के मामले में रद्द कर दी गई। चूंकि, दोनों निविदाओं में आयोग्य बोलीदाता एक ही थे इसलिए उचित प्रक्रिया के तहत केवल शेष योग्य पार्टी को ही बाद में भावनाथपुर खानों की निविदा प्रदान कर दी गई।

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) से (छ): हाल ही में इस्पात मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है जिसके विचारार्थ विषय कोकिंग कोल अधिप्राप्ति प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता, विदेशों में कोकिंग कोल की खानों का अधिग्रहण करने और इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कोकिंग कोल के उपयोग को अधिकतम बनाए जाने इत्यादि मामलों को देखना है। जनवरी, 2012 तक इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

****